

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 86/2017

अहमा जिरा हमीरा बे रवा निवासी- नाहरगढ

- ① वीरेन्द्र सिंह पुत्र अंबर सिंह राजपुर निवासी- हलावदा
  - ② राजू जिरा सुखा बे रवा निवासी कुंवलियास
  - ③ शमामा जिरा सरिमा कुंजर निवासी थलखुड
  - ④ चौधू जिरा सरिमा कुंजर निवासी- थलखुड
- प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री अहमा जिरा हमीरा बे रवा निवासी नाहरगढ जिरिये अभिभाषक श्री सांवर मूल रेबाली ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम थलखुड प0ह0 थलखुला तह0 माण्डलगढ मे आराजीन0 414/72 रकबा 5 बीघा एवं 419 रकबा 4 बीघा कित्ता 2 रकबा 9 बीघा - बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काशतकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0 स्वीकार किया जाकर ग्राम थलखुड की आराजी न0 414/72 रकबा 5 बीघा एवं 419 रकबा 4 बीघा

2 रकबा 9 बीघा - बिस्वा - की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जान के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 450 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

2